भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4411

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>बायोगैस संयंत्रों की स्थापना</u>

4411. श्री दिनेगभाई मकवाणाः
श्री विद्युत बरन महतोः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ऑफ-ग्रिड बिजली और अन्य अनुप्रयोगों के लिए मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2026 की अवधि के लिए बायोगैस कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का एक घटक है, मध्यम - आकार के बायोगैस संयंत्रों (प्रतिदिन 25 घन मीटर से 2500 घन मीटर तक बायोगैस उत्पादन) की स्थापना में सहयोग कर रहा है। देश में मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में सहयोग देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 36 मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनका ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'बायोगैस संयंत्रों की स्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4411 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों (प्रतिदिन 25 घन मीटर से 2500 घन मीटर तक बायोगैस उत्पादन) के लिए प्रदान किए जा रहे सीएफए का ब्यौरा।

विद्युत उत्पादन क्षमता (किलोवाट)	सीएफए** निम्नलिखित अधिकतम सीमा तक सीमित		पीआईए* के लिए प्रशासनिक शुल्क	
	विद्युत उत्पादन	तापीय (थर्मल) अनुप्रयोग	विद्युत उत्पादन	तापीय (थर्मल) अनुप्रयोग
3 किलोवाट - 50 किलोवाट	45,000 रु. प्रति किलोवाट	22,500 रु. प्रति किलोवाट समतुल्य थर्मल/कूलिंग	सीएफए का 10%	सीएफए का 5%
>50 किलोवाट - 200 किलोवाट	40,000 रु. प्रति किलोवाट	20,000 रु. /- प्रति किलोवाट समतुल्य थर्मल/कूलिंग	2,00,000 रु./- (निर्धारित)	1,00,000 रु. /- (निर्धारित)
>200 किलोवाट - 250 किलोवाट	35,000 रु. प्रति किलोवाट	17,500 रु. /- प्रति किलोवाट समतुल्य थर्मल/कूलिंग	2,50,000 रु. /- (निर्धारित)	1,00,000 रु. /- (निर्धारित)

***पीआईए के लिए प्रशासनिक शुल्क** तकनीकी पर्यवेक्षण, परियोजना पूर्णता एवं चालू होने (कमीशनिंग) की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रदान किया जाएगा।

*****उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, द्वीप समूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रोत्साहन:*** *तालिका में उल्लिखित सीएफए के अलावा 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन*

<u>अनुलग्नक-II</u>

'बायोगैस संयंत्रों की स्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4411 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित मध्यम - आकार (ऑफ-ग्रिड) बायोगैस संयंत्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	**राज्य**	**स्थापित संयंत्रों की कुल संख्या**	**कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)**
1	हरियाणा	1	43.75
2	कर्नाटक	1	25.00
3	महाराष्ट्र	15	1267.50
4	पंजाब	3	45.75
5	तमिलनाडु	7	1600.00
6	उत्तराखंड	1	10.00
7	उत्तर प्रदेश	4	181.00
8	पश्चिम बंगाल	1	37.50
9	ओडिशा	2	175.00
10	तेलंगाना	1	200.00
कुल		**36**	**3585.50**

*****